सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या **235** राँची**,** शुक्रवार

12 चैत्र, 1938 (श०)

1 अप्रैल, 2016 (ई०)

राजस्व**,** निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

30 मार्च, 2016

विषयः- बदलते कम्प्यूटरीकृत युग में भू-धारियों को अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अंचल कार्यालयों में रैयतों की भूधृति अथवा धारित भूमि पर धार्य लगान अलावे सेस को पूर्ववत नकद राशि प्राप्त करने के बदले बैंकों के माध्यम से ऑन लाईन प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया का सरलीकरण के संबंध में।

संख्या**:-** **6/**लगान निर्गम (नीति)**:-24/16-1257/**रा.**--**सर्वे एवं बंदोबस्त कार्यो के दौरान भूमि की प्रकृति के अनुसार सक्षम प्राधिकार (राजस्व पदाधिकारी) द्वारा लगान धार्य करने का प्रावधान है। उक्त के तहत छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम**, 1908** की धारा-**85** एवं संथाल परगना लगान विनियमन**, 1886 (1886** का **2)** धारा-**5** के अनुसार

राज्य सरकार द्वारा काश्तकारों की भूधृति अथवा धारित भूमि पर धार्य अंचल कार्यालयों में मालगुजारी, अलावे सेस एवं सूद आदि की गणना कर धार्य शुल्क के रूप में लगान वसूलने का प्रावधान है। विभिन्न अंचल, मौजा/थाना अंतर्गत विभिन्न वित्तीय वर्षों के लिए विभिन्न काश्तकारों/जमाकर्त्ताओ द्वारा नकद मालगुजारी जमा कर संबंधित अंचल कार्यालयों से राजस्व (लगान) रसीद प्राप्त किया जाता है, जिसे चालान के माध्यम से सरकारी कोष में जमा कर दिया जाता है।

2. बदलते परिवेश में राजस्व लगान निर्गत करने हेतु नकद मालगुजारी प्राप्त करने का प्रावधान अव्यवहारिक हो गया है तथा कार्यालय की पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होने की संभावना बनी रहती है। इसके अतिरिक्त कार्यालय में नकद राशि का रहना सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भी उचित नहीं है। इन समस्याओं के अतिरिक्त नकद मालगुजारी जमा करने की पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के कारण अंचल कार्यालयों में पारदर्शिता नहीं दिखाई पड़ती है। साथ ही वर्तमान समय में रैयतों द्वारा अंचल कार्यालय में नकद मालगुजारी राशि जमा करने में अनावश्यक विलम्ब होता है एवं अनावश्यक परेशानी का भी सामना करना पड़ता है।

3. नकद मालगुजारी प्राप्त करने के स्थान पर विभिन्न काश्तकारों/ जमाकर्त्ताओ से मालगुजारी के रूप में ली जाने वाली भू-लगान की राशि को प्राधिकृत बैंक के माध्यम से जमा कराए जाने पर सरकार को किसी भी प्रकार से शुल्क देय नहीं होगा तथा **e-Governance** अंतर्गत इस बदलते कम्प्यूटरीकृत युग में जमाकर्त्ताओ को भी अत्यन्त सुविधा होगी तथा कार्यालयों में रक्षित राशि के लूटने का भय भी नहीं रहेगा। साथ ही इससे कार्यालयों की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी एवं सुविधायुक्त होगी।

4. मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक **29** मार्च, **2016** के मद संख्या-**16** के अंतर्गत विभिन्न अंचल कार्यालयों में विभिन्न रैयतों/काश्तकारों से पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत नकद मालगुजारी के रूप में ली जाने वाली लगान राशि को प्रक्रिया के सरलीकरण के तहत बैंकों के माध्यम से ऑनलाईन जमा कराये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

5. अतः विभिन्न अंचल कार्यालयों में विभिन्न रैयतों/काश्तकारों से पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत नकद मालगुजारी के रूप में ली जाने वाली लगान राशि को बैंकों के माध्यम से ऑनलाईन जमा कराया जाए। बदलते कम्प्यूटरीकृत युग में भू-धारियों को अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अंचल कार्यालयों में रैयतों की भूधृति अथवा धारित भूमि पर धार्य लगान अलावे सेस को अंचल कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्धारित नकद राशि प्राप्त करने के बदले बैंकों के माध्यम से ऑन लाईन प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाय**,** तथा प्राप्त लगान राशि की प्रविष्टि ससमय लगान पंजी **3A** एवं **3AA** में की जाय तथा उक्त प्राप्त राशि को बैंक द्वारा संबंधित कोषागार में जमा किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से**,**
उदय प्रताप**,**
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 235—50 ।